

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/18/2008-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितंबर, 2009

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2008 के लिए, राज्य-सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत-सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में पंजाब की राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री रूपींदर सिंह रंधावा को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग में आबंटित करते हैं।



(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद(हरियाणा)